रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2018/चैत्र 5, 1940
No. 183] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2018

सा.का.नि. 283(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7, की उप-धारा (1), धारा 8, धारा 9 की उप-धारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये 1 अप्रेल, 2018 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 के, नियम 5 में, उप-नियम (3) के नीचे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) उप-नियम (1) से उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के पैरा 1 और 2 में उपबंधित विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का, रोटेशन अवधि समाप्त होने पर आगामी रोटेशन अवधि के लिए नई विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के अनुसार संशोधन नहीं किया जाता है तो दूसरे बारह मास की विद्यमान विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां 31 अगस्त, 2018 तक की और अवधि के लिए जारी रहेंगी" ।

[सं. पी-16011/02/2017-टीसी]

विकास शील, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग– II खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 15 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा इसमें तारीख 16 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1016(अ) के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2018

G.S.R. 283(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, section 8, sub-section (2) of section 9, section 10 and section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2018.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, in rule 5, after the proviso below sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (3), if the specified health warnings provided in paragraphs 1 and 2 of the Schedule are not amended by the Central Government with new specified health warnings at the end of the rotation period for the next rotation period, then the existing specified health warnings for the second twelve months shall continue for a further period till the 31st day of August, 2018."

[No. P.16011/02/2017-TC]
VIKAS SHEEL, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 182(E), dated the 15th March, 2008 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1016(E), dated the 16th August, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.03.26 22:28:48 +05'30'